भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

.....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 972

(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

गांवों में शौचालयों की सफाई और रख-रखाव

972. डा. प्रभा ठाकुर :

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान जैसे राज्य में जहां अनेक जिलों में पानी की कमी रहती है, वहां गांवों में बने शौचालय उपयोग के योग्य रह सकेंगे;

(ख) इन शौचालयों की स्वच्छता और रख-रखाव का दायित्व किस पर है; और

(ग) क्या सरकार को राजस्थान जैसे राज्यों में बने ऐसे शौचालयों की वस्तुस्थिति की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री भरतसिंह सोलंकी)

(क) : तैयार की गई स्वच्छता सुविधाओं को स्थायी बनाने के लिए ग्राम पंचायत (जीपी) में पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने निर्मल भारत अभियान के तहत राज्यों को यह छूट दी है कि वे लाभार्थियों की पसंद और राजस्थान जैसे पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों की जरूरतों सहित क्षेत्र विशेष की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वच्छता सुविधाओं को स्थायी बनाने हेतु शौचालयों के लिए अधिक व्यापक प्रौद्योगिकीय विकल्पों को अपना सकते हैं। निर्मल भारत अभियान के तहत उन ग्राम पंचायतों में सच्यूरेशन अप्रोच के जरिए शौचालय उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें सभी बसावटों और परिवारों को पानी/पाइपों द्वारा जलापूर्ति की कामचलाऊ व्यवस्था उपलब्ध है।

(ख) और (ग) : राजस्थान राज्य सहित सभी राज्यों में व्यैक्तिक पारिवारिक स्वच्छ शौचालयों के रखरखाव का खर्च परिवारों को ही वहन करना होता है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के रखरखाव की लागत प्रयोक्ता प्रभार जैसे उपयुक्त उपायों के जरिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वहन की जाती है। स्कूलों/आंगनवाड़ियों में शौचालयों के मामले में राज्य सरकार के संबंधित विभागों को रखरखाव के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध करानी होती है। सामुदायिक शौचालयों, स्कूलों और आंगनवाड़ियों में शौचालयों के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत/पंचायती राज संस्थाओं/जिलों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी अन्य रखरखाव निधि का उपयोग भी किया जा सकता है।

*****